भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5555

जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 को दिया जाना है

ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तीसरे चरण की स्थिति

†5555. श्री बलभद्र माझी :

श्री तेजस्वी सूर्या :

श्री शुधीर गुप्ता :

श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा :

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :

श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि :

श्री आलोक शर्मा :

श्री प्रवीण पटेल :

श्री रमेश अवस्थी :

श्री पी. पी. चौधरी :

श्री लुम्बाराम चौधरी :

श्री शंकर लालवानी :

श्री भोजराज नाग :

श्री छवि महोत्सव वसंतराव :

श्री मनीषा मंदिर :

श्री शेषनाथ कुमार गौतम :

श्री नवचरण माझी :

डॉ. हेमांग जोशी :

श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक 7,210 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्वीकृत ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण की पंजाब सहित वर्तमान स्थिति क्या है और पुराने न्यायिक अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने की स्थिति क्या है ;

(ख) भौतिक स्कैनिंग पर निर्भरता कम किए जाने हेतु न्यायालयी अभिलेखों को डिजिटल रूप से तैयार करने के लिए विकसित किए जा रहे "डिजिटल-नेटिव" पारिस्थितिकी तंत्र का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उच्च गति इंटरनेट सुविधा से वंचित मुकदमा लड़ने वालों और वकीलों के लिए डिजिटल विभाजन को पाटने हेतु जिला न्यायालय परिसरों, विशेषकर पाली जिला न्यायालय में स्थापित ई-सेवा केंद्रों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या सरकार विचारण प्रक्रिया को गति देने के लिए स्वचालित केस-लॉ अनुसंधान और "वर्चुअल एविडेंस रूम" हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों का प्रयोग कर रही है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) भारतीय न्यायपालिका द्वारा स्थायी हाइब्रिड सुनवाई मॉडल में परिवर्तन के बाद से आयोजित आभासी सुनवाई की कुल संख्या कितनी है और इस क्षेष में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना को न्यायिक प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश भर में चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है । वर्तमान में ₹7,210 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ ई-कोर्ट्स परियोजना का तृतीय चरण (2023-27) कार्यान्वयन के अधीन है । पिछले कुछ वर्षों में, ई-कोर्ट्स परियोजना ने ई-फाइलिंग, ई-भुगतान के विस्तार, आभासी (वर्चुअल) और हाइब्रिड सुनवाई को व्यापक रूप से अपनाने, न्यायालयी अभिलेखों के डिजिटलीकरण, केस सूचना प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और एनजेडीजी आदि के माध्यम से मामले की जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने में निरंतर प्रगति की है । तारीख 31 जनवरी, 2026 तक ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना के अधीन डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में योगदान देने वाली कुछ प्रमुख पहल और उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

(i) यातायात चालानों के ऑनलाइन न्यायनिर्णयन को समर्थ बनाने के लिए 30 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए हैं। आभासी न्यायालयों में 10.13 करोड़ चालान प्राप्त हुए हैं और ₹1002.73 करोड़ की राशि के चालानों का भुगतान किया गया है ।

(ii) सभी उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम लागू कर दिए गए हैं ।

(iii) 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार किया गया है। न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3.97 करोड़

से अधिक सुनवाइयां की हैं, जिससे विचाराधीन कैदियों, साक्षियों और अधिवक्ताओं की दूरस्थ सुनवाई की सुविधा प्राप्त हुई है।

(iv) 11 उच्च न्यायालयों में न्यायालयिक कार्यवाही का सजीव प्रसारण चालू है।

(v) ई-फाइलिंग और ई-भुगतान प्रणालियों को मामलों की ऑनलाइन फाइलिंग और न्यायालय शुल्क तथा जुर्माने के डिजिटल भुगतान की अनुमति देने के लिए कार्यान्वित किया गया है। ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 1.07 करोड़ मामले फाइल किए गए हैं और ई-भुगतान प्रणाली ने 1,404 करोड़ रुपये मूल्य के न्यायालय शुल्क और 75 करोड़ रुपये मूल्य के जुर्माने के लेन-देन को संसाधित किया है।

(vi) एनजेडीजी देश भर के न्यायालयों के मामलों के डेटा और आंकड़ों तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करता है। इसे एक उन्नत डैशबोर्ड के साथ अद्यतन किया गया है, जो मामलों की लंबितता की पहचान करने, प्रबंधन करने और उसे कम करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करता है।

(vii) केस इंफॉर्मेशन सिस्टम 4.0 सभी न्यायालयों में लागू किया गया है, जिसमें उन्नत उपयोगिता, गोपनीयता सुरक्षा उपाय और एनजेडीजी, ई-फाइलिंग, आभासी न्यायालयों तथा इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जैसे राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण की सुविधा है ।

(viii) S3WaaS (सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य वेबसाइट-एज़-ए-सर्विस) प्लेटफॉर्म 730 जिला न्यायालय की वेबसाइटों की मेजबानी करता है, जो सुरक्षित और सुलभ वेब बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करता है।

(ix) वास्तविक समय की डिजिटल सेवाओं का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है, जिसके अधीन अधिवक्ताओं और वादकारियों को एसएमएस पुश और पुल (प्रतिदिन 4 लाख से अधिक एसएमएस), ईमेल (प्रतिदिन 6 लाख से अधिक) और बहुभाषी ई-कोर्ट सेवा पोर्टल (प्रतिदिन 35 लाख हिट्स) के माध्यम से मामलों के अद्यतन भेजे जा रहे हैं ।

(x) ई-कोर्ट्स सर्विसेज मोबाइल ऐप (3.59 करोड़ डाउनलोड) अधिवक्ताओं और वादकारियों को मामले की स्थिति, वाद सूची आदि के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है ।

(xi) जस्टआईएस ऐप (22,133 डाउनलोड) न्यायाधीशों के लिए एक प्रबंधन उपकरण है, जो उन्हें उनके न्यायिक कार्यों को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने और उनकी निगरानी करने में सहायता करता है ।

(xii) सभी उच्च न्यायालयों में 48 ई-सेवा केंद्र और जिला न्यायालयों में 2,396 ई-सेवा केंद्र क्रियाशील हैं ।

(xiii) मोबाइल-आधारित और जीपीएस-सक्षम वितरण तंत्र का उपयोग करके समन और नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक तामील और ट्रैकिंग के लिए नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ

इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेसेस (एनएसटीपी) प्रणाली लागू की गई है। एनएसटीपी के अधीन न्यायालयों ने 7.40 करोड़ ई-प्रक्रियाओं को संसाधित किया है।

(xiv) डिजिटल कोर्ट्स 2.1 कागज रहित न्यायालयों (प्रायोगिक चरण) के लिए एक अनुकूलित एप्लिकेशन है, जिसमें एआई के उपयोग से अनुवाद और प्रतिलेखन की सुविधा है। यह न्यायाधीशों को मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों, अभिवचनों और साक्ष्यों तक डिजिटल रूप से पहुंचने में सक्षम बनाता है, जो कागज रहित न्यायालय पारिस्थितिकी तंत्र की ओर एक महत्वपूर्ण छलांग है।

ई-कोर्ट्स तृतीय चरण के अंतर्गत, तीव्र प्रत्युद्धरण, सुरक्षित भंडारण और निर्बाध डिजिटल कार्यप्रवाह सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयी अभिलेखों के 660.36 करोड़ से अधिक पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया गया है, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा किए गए 94.71 करोड़ पृष्ठ सम्मिलित हैं।

(ग) : सभी 28 उच्च न्यायालय अधिकारिताओं में कुल 2,444 ई-सेवा केंद्र क्रियाशील हैं (उच्च न्यायालयों में 48 ई-सेवा केंद्र और जिला न्यायालयों में 2,396 ई-सेवा केंद्र) ।

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पाली के जिला न्यायालय परिसर में एक ई-सेवा केंद्र स्थापित किया गया है ।

(घ) और (ङ) : ई-कोर्ट्स परियोजना के तृतीय चरण के अंतर्गत, 'भविष्य की तकनीकी प्रगति' घटक के लिए ₹53.57 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है, ताकि आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (एआई) आदि जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत किया जा सके। न्यायाधीशों को विधिक अनुसंधान और दस्तावेज़ विश्लेषण में सहायता प्रदान करने के लिए 'लीगल रिसर्च एनालिसिस असिस्टेंट' नामक एक एआई-आधारित सॉफ्टवेयर उपकरण विकसित किया गया है। न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की सहायता के लिए 'डिजिटल कोर्ट्स 2.1' नामक एक अन्य एआई-आधारित उपकरण डिजाइन किया गया है, जो मामले से संबंधित सभी सूचनाओं और कार्यों के प्रबंधन के लिए एकल खिड़की प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म में न्यायाधीशों को आदेश और निर्णय श्रुतलेख में सहायता करने के लिए वॉयस-टू-टेक्स्ट (एएसआर – श्रुति) और अनुवाद (पाणिनी) कार्यात्मकताएं सम्मिलित हैं ।

(च) : हाइब्रिड सुनवाई मॉडल की शुरुआत के बाद से, न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3.97 करोड़ से अधिक सुनवाइयां की हैं, जिससे विचाराधीन कैदियों, साक्षियों और अधिवक्ताओं की दूरस्थ सुनवाई की सुविधा प्राप्त हुई है, जो भारत को वर्चुअल सुनवाई में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करता है।
